

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला सामान्य शाखा)

## आदेश

जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-17.09.2019 के आलोक में निम्नांकित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी के अनुरोध पर उनके नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(4) एवं 17 (3) (a) एवं आयुध नियम-2016 की धारा 47 (1) तथा The Arms Rules 1959 के नियम 5 (a), (b) के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए धारित शस्त्र को संबंधित थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा/बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता	शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	धारित क्षेत्र	रद्द करने का कारण
1.	मो० सलीम दुर्गानी, पिता-हाजी मो० सुलेमान, सा०-रेहला, थाना-बिसरामपुर जिला-पलामू।	303/1982 ओ०डी०-18/2013	रायफल	सम्पूर्ण भारत	वृद्ध
2.	शहला नस्तरण, पति-मो० सफीउद्दीन खान सा०-सदरुद्दीनचक, पोस्ट+थाना-हबीबपुर, जिला-भागलपुर।	9/1993 ओ०डी०-27/2010	डी०बी०बी०एल०	बिहार	वृद्ध
3.	श्री विजय शंकर गुप्ता, पिता-खोखा प्रसाद, सा०-डाक बंगला रोड, कहलगँव, थाना-कहलगँव, जिला-भागलपुर।	414-18/1981	डी०बी०बी०एल०	भागलपुर	वृद्ध
4.	श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता, पिता-उदय नारायण राम, सा०+थाना-ईशीपुर बाराहाट, जिला-भागलपुर।	365-2/1995	डी०बी०बी०एल०	भागलपुर	वृद्ध एवं अस्वस्थ
5.	मो० अशरफ राजा, पिता-स्व० मो० शीस, सा०+पो०-फतेहपुर, थाना-औद्योगिक प्रक्षेत्र, जिला-भागलपुर।	4120/1993 पटना ओ०डी०-18/2008	डी०बी०बी०एल०	बिहार	वृद्ध

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी को निदेश है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द के पूर्व वेपन्स डिलिशन/आर्म्स कौन्सिलेशन शुल्क- 1000/- रु० चलान बैंक के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित शस्त्र को थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा/बिक्री कर कार्यालय में मूल अनुज्ञप्ति एवं रसीद की छायाप्रति जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच  
-सह-प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला सामान्य शाखा, भागलपुर।

ज्ञापांक : 14-21/2018-19/2228/सा०, भागलपुर, दिनांक 19/09/2019

- प्रतिलिपि :- सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- सभी सरकारी अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- डी०आई०ओ०, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले की वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।  
 प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ समर्पित।

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच  
-सह- प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला सामान्य शाखा, भागलपुर।